No.08-02/2012-SEA-I

Government of India

Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)
Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)
20, Ashoka Road, Sanchar Bhawan,
New Delhi-110 001

Dated 30.07.2018

Sub.:- Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group "A") Recruitment Rules 2018- circulation of printed version.

The undersigned is directed to say that Recruitment Rules of Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group "A"), 2018 have been published in the Gazette of India {part-II-Section 3-sub-section (i)} on 22.06.2018.

2. A copy of the printed version of the said Recruitment Rules is enclosed for information please.

DA: As above

[O.P. Jairath] ADG (SEA-I) Ph. 23036126

Copy to:-

- 1. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi-110004.
- 2. PS to Hon'ble MoS(IC), MoC.
- 3. Establishment Officer & Additional Secretary, DoP&T, North Block, New Delhi 110001.
- 4. PPS to Secretary (T), DoT/PPS to Secretary (P), DoP.
- 5. PPS to Member (F), T.C.
- 6. PS to CGCA/ACGCA.
- 7. PPS to Advisor (F), DoT.
- 8. Sr. DDG(PAF), DoP Hq./Sr. DDG(LFP), DoT Hq./DG, NICF
- 9. All DDsG Accounts and Finance Side DoT Hg./Jt. Administrator, USOF.
- 10.CVO, DoT Hq.
- 11. All Pr. CsCA/CsCA.
- 12.DoP&T, New Delhi w.r.t. their I.D. Note Dy. No. 1303192/18/RR dated 16.04.2018 [Kind Attn. Sh. N.C. Srivastava, Section Officer (RR)].
- 13. Ministry of Law and Justice, Legislative Department, w.r.t. their Dy. No.1380/18 dated 20.06.2018 [Kind Attn. Sh., P.S. Prasad, (Confidential Superintendent)].
- 14. The Secretary, UPSC, New Delhi, w.r.t. their F.No. 3/21A(1)2018-RR dated 11.06.2018 [Kind Attn. Sh. B.S. Heet, Under Secretary (RR)].
- 15.Lok Sabha Secretariat (5 copies), Committee on Subordinate Legislation, Parliament Annexe, New Delhi.
- 16. Rajya Sabha Secretariat (5 copies), Committee on Subordinate Legislation, parliament Annexe, New Delhi.
- 17. The General Secretary, Indian P&T Accounts and Finance Service Group "A" officers Association (Direct Recruits).
- 18. The General Secretary, P&T Accounts and Finance Officers Association, Sanchar Bhawan, New Delhi.
- 19.US (SEA-II), for uploading the same on the DoT Website.
- 20. Guard file/Spare copy.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/आषाढ़ 1, 1940
No. 426]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ASHADHA 1, 1940

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

सा.का.नि. 583(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक और दूरसंचार, लेखा और वित्तीय सेवा भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') नियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
 - (ख) किसी भी श्रेणी के सम्बन्ध में "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों की अनुसूची-3 में यथाउपदर्शित किसी श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए गठित कोई समिति अभिप्रेत है;
 - (ग) किसी भी श्रेणी के सम्बन्ध में "विभागीय पृष्टि समिति" से इन नियमों की अनुसूची-3 में यथाउपदर्शित किसी श्रेणी में पृष्टि पर विचार करने के लिए गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;
 - (घ) "विभागीय छानबीन समिति" से इन नियमों की अनुसूची-3 में यथाउपदर्शित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी) में नियोजन और इसकी अनुसूची-4 में यथाउपदर्शित अप्रकार्यात्मक उन्नयन देने पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति अभिप्रेत है;

3505 GI/2018 (1)

- (ङ) "परीक्षा" से आयोग द्वारा केन्द्रीय सेवा समूह 'क' में भर्ती के लिए आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है :
- (च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (छ) "श्रेणी" से अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ज) किसी श्रेणी के सम्बन्ध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई उस श्रेणी में सेवा की अविध या अविधयां अभिप्रेत हैं और इसमें (i) सेवा के आरम्भिक गठन पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई कोई अविध या अविधयां ; और (ii) उस अविध या उन अविधयों, जिनके दौरान किसी अधिकारी ने नियमित आधार पर उस श्रेणी में पद धारण किया होता, यदि वह ऐसे पद धारण करने के लिए छुट्टी पर नहीं हुआ होता या अन्यथा उपलब्ध नहीं हुआ होता ;
- (झ) "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनका है ;
- (ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जातियां और समुदाय समाविष्ट होंगे ;
- (ट) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') अभिप्रेत है ;
- (ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है।
- **3. सेवा का गठन -** (1) भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') (आईपी एंड टीएएफएस) समूह 'क' नाम से ज्ञात गठित सेवा होगी जो नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।
- (2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।
- (3) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित तत्स्थानी श्रेणियों में उप-नियम (3)(1) में यथानिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की गई नियमित निरंतर सेवा, ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अप्रकार्यात्मक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।
- **4 नियंत्रण प्राधिकारी –** भारत सरकार, दूर संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग, सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी होगा ।
- 5. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन (1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या, प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए गए।
- (2) इन नियमों के प्रारम्भ के तारीख से ही, सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्यधीन समय-समय पर अवधारित की जाए।
- **6. सेवा के सदस्य** (1) इन नियमों की प्रारम्भ की तारीख को सेवा में ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें नियमित आधार पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों में भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') में पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।
- (2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् किसी श्रेणी के किसी कर्तव्य पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।
- 7. सेवा में नियुक्ति (1) सेवा के आरम्भिक गठन के पश्चात्, किन्हीं भी श्रेणियों में किसी श्रेणी में रिक्तियां, जिसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित रीति में भरी जाएंगी।
- (2) किनष्ठ काल वेतनमान की रिक्तियों की पचास प्रतिशत रिक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए और अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।
- (3) किनष्ट काल वेतनमान में रिक्तियों की शेष पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर इन नियमों की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

- (4) किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी (अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी) के पदों के सिवाय, ज्येष्ठ काल वेतनमान तथा उससे ऊपर के पदों पर सेवा में नियुक्तियां अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नित सिमिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा अनुसूची-2 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी (अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी) में नियोजन अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्निति या छानबीन सिमिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा।
- 8. परिवीक्षा (1) नियम 7 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परंतु नियंत्रण अधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय पिछली परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए कारणों सहित सम्बन्धित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा के पूरे हो जाने पर या उसके किसी विस्तार पर, अधिकारी, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में उसे रोक कर रखा जाएगा और यथास्थिति, उपलब्ध मूल रिक्ति के विरुद्ध सम्यक अनुक्रम में पृष्ट किया जाएगा।
- (3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार, यथास्थिति, सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर अधिकारी को सेवामुक्त कर सकेगी या प्रत्यावर्तित कर सकेगी।
- (4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, अभ्यर्थी से सरकार द्वारा या अपेक्षा की जा सकेगी कि वह परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा किए जाने की शर्त के रूप में, प्रशिक्षण और अनुदेश के ऐसे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करे और परीक्षा और परीक्षण (जिसमें हिन्दी में भी परीक्षा है) उत्तीर्ण करे, जैसा सरकार ठीक समझे ।
- (5) जहां तक परिवीक्षा से सम्बन्धित अन्य विषयों का सम्बन्ध है, अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित किए जाएंगे ।
- 9. ज्येष्ठता (1) इन नियमों के प्रारम्भ पर सेवा के सदस्यों के सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों की प्रारम्भ की तारीख से पूर्व यथाअवधारित उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी :

परंतु यह कि यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व अवधारित नहीं की गई है तो वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।

- (2) आरम्भिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (3) ऐसे अधिकारियों की ज्येष्ठता, जो उपरोक्त उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आती है, आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।
- **10. अप्रकार्यात्मक उन्नयन** (1) जब कभी संयुक्त काडर के राज्य का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क के सिवाय, स्तर-10 से स्तर-15 तक की किसी विशिष्ट श्रेणी में केन्द्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैच के वे अधिकारी, जो दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और उस विशिष्ट श्रेणी में उन्हें अभी तक प्रन्नोत नहीं किया गया है, केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से अप्रकार्यात्मक आधार पर वेतन मैट्रिक्स में वही स्तर प्रदान किया जाएगा।
- (2) सभी विहित पात्रता मानदण्ड और प्रोन्नति मानक, जिनके अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में विशिष्ट स्तर में उन्नयन के लिए 'वेंचमार्क' भी है, वेतन मैट्रिक्स में उच्चतर स्तर के प्रदान किए जाने के लिए छानबीन करते समय पूरे करने होंगे।

- (3) उपरोक्त खंड (1) में निर्दिष्ट अप्रकार्यात्मक उन्नयन का प्रदान किया जाना,-
 - (i) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;
 - (ii) अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा ।
- 11. मध्य कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) कार्यक्रम सेवा के अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए गए अनुसार मध्य कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) कार्यक्रम को संतोषजनक रूप से पूरा करेंगे ।
- **12. सेवा की शर्तें** (1) सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, भारत में या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर, जिसके अन्तर्गत फील्ड सेवा भी है, सेवा करने के लिए दायी होगा।
- (2) ऐसे विषयों, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में सेवा के अधिकारी की सेवा की शर्तें वैसी ही होंगी, जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लागू होती हैं।
- **13.** निरर्हता : वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- **14. निर्वचन** यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।
- 15. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके तिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- **16.** व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के तिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-1 [उपनियम (5)(1) देखें]

श्रेणी, पदाभिधान, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और प्राधिकृत संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	पदाभिधान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	प्राधिकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शीर्ष वेतनमान	संचार महालेखा नियंत्रक	स्तर-17 (2,25,000 रुपए)	1
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	सलाहकार (वित्त) या अपर	स्तर-16 (2,05,000-	2
		संचार महालेखा नियंत्रक	2,24,400) रुपए)	

3	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	ज्येष्ठ उप-महानिदेशक या स्तर-15 (1,82,200- संचार प्रधान लेखा नियंत्रक या 2,24,100 रुपए) महानिदेशक (एनआईसीएफ) या समतुल्य		8
4	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उप महानिदेशक या संयुक्त प्रशासक (यूएसओएफ) या संचार लेखा नियंत्रक या महानिदेशक (वित्त), डाक लेखा कार्यालय या महाप्रबंधक (वित्त), पोस्टल लाइफ इन्श्योरेंस या महाप्रबंधक (वित्त), भारतीय डाक कर्मचारिवृन्द महाविद्यालय या समतुल्य	स्तर-14 (1,44,200- 2,18,200 रुपए)	55
5	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी)	निदेशक या उप प्रशासक (यूएसओएएफ) या संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक या लेखा निदेशक (डाक) या समतुल्य	स्तर-12 (1,23,100- 2,15,900 रुपए)	**
6	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	निदेशक या उप प्रशासक (यूएसओएएफ) या संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक या लेखा निदेशक (डाक) या समतुल्य	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपए)	90
7	ज्येष्ठ काल वेतनमान	सहायक महानिदेशक या सहायक प्रशासक (यूएसओएफ) या उप संचार लेखा नियंत्रक या समतुल्य	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)	86
8	कनिष्ठ काल वेतनमान	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी या सहायक संचार लेखा नियंत्रक या समतुल्य	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	88
9	आरक्षित			46
	योग			376

^{**}टिप्पण:- वेतन मैट्रिक्स (1,23,100-2,15,900 रुपए) के स्तर-13 में 'अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी' के पदों की संख्या काडर में ज्येष्ठ कर्तव्य पदों अर्थात् वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रुपए) और उससे अधिक के स्तर-11 में पदों के तीस प्रतिशत तक निर्बंधित होगी। काडर की समग्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी और 'अप्रकार्यात्मक चयन श्रेणी' प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची – 2

(नियम 7 देखिए)

भारतीय डाक और दूर-संचार लेखा और वित्त सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अगले निम्न ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सर्वोच्च स्केल (सीजीसीए) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 17 (2,25,000 रुपए)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 16 (2,05,400 रुपए - 2,24,400 रुपए) में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ में सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, एक वर्ष की सेवा की है।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 16 (2,05,400 रुपए - 2,24,400 रुपए)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 15 (1,82,200 रुपए - 2,24,100 रुपए) में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, एक वर्ष की सेवा की है।
3.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 15 (1,82,200 रुपए - 2,24,100 रुपए)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (1,44,200 रुपए - 2,18,200 रुपए) में ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, तीन वर्ष की सेवा की है; या सेवा में समूह 'क' पदों में पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में की हो और जिन्होंने न्यूनतम दो सप्ताह का विभागीय आगमन या विनिर्दिष्ट सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (1,44,200 रुपए - 2,18 ,2 00 रुपए)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78,800 रुपए - 2,09,200 रुपए) में किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड में सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड और गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड, यिद कोई हो, में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा की है; या सेवा में समूह 'क' पदों में सतरह वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड, जिसमें किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड, जिसमें किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड, जिसमें किनष्ठ प्रशासिनक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) भी है, में की हो।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर- कार्यात्मक चयन ग्रेड)	उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के	-	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78, 8 00 रुपए - 2, 09,2 00 रुपए) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवारत ऐसे अधिकारी, जो परीक्षा, जिसके

	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –	आधार पर स्केल		आधार पर सेवा का ऐसा सदस्य भर्ती हुआ था,
	13 (1,23,100 रुपए -	में स्थानन		के वर्ष या प्रोन्नति पर किनष्ठ समय स्केल की
	2,15 ,9 00 रुपए)			चयन सूची में सम्मिलित होने के वर्ष के पश्चात्
				आने वाले वर्ष से संगणित करते हुए वर्ष की
				1 जनवरी को सेवा के 14वें वर्ष में प्रविष्ट हुआ
				है।
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67, 7 00 रुपए -
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –			2,08,700 रुपए) में ज्येष्ठ समय स्केल में
	12 (78, 8 00 रुपए -			सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में,
	2, 09,2 00 रुपए)			नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, पांच
				वर्ष की सेवा की है और न्यूनतम दो सप्ताह का
				विभागीय आगमन या विनिर्दिष्ट सेवा-कालीन
				प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
7.	ज्येष्ठ समय स्केल	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56 ,1 00 रुपए -
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –			1,77,500 रुपए) में कनिष्ठ समय स्केल में
	11 (67 ,7 00 रुपए -			सेवारत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में,
	2, 0 8, 7 00 रुपए)			नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, चार
				वर्ष की सेवा की है और न्यूनतम दो सप्ताह का
				विभागीय आगमन या विनिर्दिष्ट सेवा-कालीन
				प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
8.	कनिष्ठ समय स्केल	50% सीधी	लागू नहीं	आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –	भर्ती द्वारा	होता	द्वारा
	10 (56 ,1 00 रुपए -	50% प्रोन्नति	चयन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56 ,1 00 रुपए -
	1, 77,5 00 रुपए)	द्वारा		1, 77,5 00 रुपए) में भारतीय डाक और दूर-
				संचार लेखा और वित्त सेवा समूह 'ख' के ऐसे
				ज्येष्ठ लेखा अधिकारी और वेतन मैट्रिक्स में
				स्तर – 9 (53 ,1 00 रुपए - 1 ,67,8 00 रुपए)
				में ऐसे लेखा अधिकारी, जिन्होंने उन ग्रेडों में,
				नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, दो
				वर्ष की सेवा की है और न्यूनतम दो सप्ताह का
				विभागीय आगमन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक
				पूरा किया हो ।

टिप्पण 1 : अधिकारियों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अर्हता अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी ।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची – 3

[नियम 7(3) और 7(4) देखिए]

भारतीय डाक और दूर-संचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') के समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय जांच समिति और विभागीय पुष्टि समिति की संरचना

क्रम सं.	ग्रेड	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:
(1)	(2) सर्वोच्च स्केल	(3) (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अध्यक्ष;	(4) लागू नहीं होता
1.	सवाञ्च स्कल (सीजीसीए) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 17 (2,25,000 रुपए)	आयोग	ભાગૂ નहા हાતા
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अध्यक्ष;	लागू नहीं होता
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 16 (2,05,400 रुपए - 2,24,400 रुपए)	आयोग (2) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार सदस्य ; विभाग (3) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ।	
3.		(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अध्यक्ष;	लागू नहीं होता
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 15 (1,82,200 रुपए - 2,24,100 रुपए)	आयोग	
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अध्यक्ष;	लागू नहीं होता
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (1,44,200 रुपए - 2,18 ,2 00 रुपए)	आयोग (2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ; (3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार सदस्य । आयोग	
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(1) सचिव (वित्त), दूरसंचार आयोग अध्यक्ष ;	लागू नहीं होता
	(गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड)	(2) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार सदस्य ; आयोग	
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 13 (1,23,100 रुपए - 2 ,1 5 ,9 00 रुपए)	1 (-)	
6.	+ "	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अध्यक्ष;	लागू नहीं होता
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –		
	12 (78, 8 00 रुपए - 2, 09,2 00 रुपए)	(2) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार सदस्य ; आयोग	
		(3) उप महानिदेशक (स्थापन और सदस्य । प्रशिक्षण), दूरसंचार विभाग	

7.		(1) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार	अध्यक्ष ;	लागू नहीं होता
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –			
	11 (67 ,7 00 रुपए -	(2) उप महानिदेशक (स्थापन और	सदस्य <i>;</i>	
	2 ,0 8 ,7 00 रुपए)	प्रशिक्षण), दूरसंचार विभाग		
		(3) निदेशक (स्टाफ स्थापन लेखा),	सदस्य।	
		दूरसंचार विभाग		
8.	कनिष्ठ समय स्केल	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा	अध्यक्ष ;	(1) सलाहकार अध्यक्ष
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –	आयोग		(वित्त), दूरसंचार ;
	10 (56 ,1 00 रुपए -			आयोग
	1 ,77,5 00 रुपए)	(2) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार	सदस्य ;	(2) उप सदस्य ;
		आयोग		महानिदेशक
				(स्थापन और
				प्रशिक्षण),
				दूरसंचार विभाग
		(3) उप महानिदेशक (स्थापन और	सदस्य ;	.` (3) निदेशक सदस्य
		प्रशिक्षण), दूरसंचार विभाग		(स्टाफ स्थापन ।
				लेखा), दूरसंचार
				विभाग
		(4) निदेशक (स्टाफ स्थापन लेखा),	सदस्य।	
		दूरसंचार विभाग		

अनुसूची – 4

[नियम 10(3)(ii) देखिए]

भारतीय डाक और दूर-संचार लेखा और वित्त सेवा (समूह 'क') के अधिकारियों को_गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने पर विचार करने के लिए विभागीय जांच समिति की संरचना

क्रम सं.	ग्रेड	गैर-कार्यात्मक उन्नयन के लिए विभागीय जांच समिति निम्नलिखित से <u>मिलकर बनेगी</u> :
(1)	(2)	(3)
1.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	(1) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग अध्यक्ष ;
		(2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ;
		(3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(1) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग अध्यक्ष ;
		(2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ;
		(3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-	(1) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग अध्यक्ष ;
	कार्यात्मक चयन ग्रेड)	(2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य ;
		(3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग सदस्य।

4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(1) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग	अध्यक्ष ;
		(2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग	सदस्य ;
		(3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग	सदस्य।
5.	ज्येष्ठ समय स्केल	(1) सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग	अध्यक्ष ;
		(2) सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग	सदस्य ;
		(3) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग	सदस्य।

[फा. सं. 08-02/2012-एसईए-1]

अभय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ईएंडटी)

MINISTRY COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2018

- **G.S.R.583(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Posts and Telecommunications, Accounts and Finance Service Group "A" Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group "A"), namely:-
- **1**. **Short Title and Commencement.** (1) These rules may be called the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group "A") Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.** In these rules, unless the contest otherwise requires,-
- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Departmental Promotion Committee" in relation to any grade, means a Committee constituted to consider promotion in any grade as indicated in Schedule-III to these rules;
- (c) "Departmental Confirmation Committee" in relation to any grade, means a Committee constituted to consider confirmation in any grade as indicated in Schedule-III to these rules;
- (d) "Departmental Screening Committee" means a Committee constituted to consider placement in Junior Administrative Grade (Non- functional Selection Grade) as indicated in Schedule-III and grant of Non-Functional Up-gradation as indicated in Schedule-IV to these rule;
- (e) "Examination" means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';
- (f) "Government" means the Government of India;
- (g)"Grade" means a grade specified in column (2) of Schedule -I;
- (h)"Regular Service", in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection, according to the prescribed procedure, for regular appointment to that grade and includes any period or periods:- (i) taken into account for purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service; and (ii) during which an officer would have held a post in that grade on regular basis, but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;
- (i) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them under clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India;
- (j) "Other Backward Classes" shall comprise the castes and communities notified by the Government from time to time.
- (k) "Service" means the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group 'A'), constituted under rule 3.
- (I) "Schedule" means the schedule annexed to these rules.

- **3. Constitution of the Service.** –(1) There shall be a constituted Service known as Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (IP&TAFS) Group 'A' consisting of persons appointed to the service under rule 6 and 7.
- (2) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.
- (3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule 3 (1) in the respective corresponding grades, rendered prior to commencement of these rule shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non functional up-gradation and pension.
- **4. Controlling Authority.** -The Government of India, Ministry of Communications, Department of Telecommunications shall be the Controlling Authority of the Service.
- **5. Grades, authorised strength and its review.-** (1) The authorised permanent strength of various grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each grade and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Schedule-I.
- (2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various grades of the service shall be as may be determined by the Central Government from time to time subject to variation depending on workload, through the established procedure, as per the instructions/ orders issued by Government from time to time.
- **6. Members of Service.-** (1) The service on the date of commencement of these rules, shall consist of officers who have already been appointed to the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service Group "A" in the various grades specified in Schedule-I on a regular basis.
- (2) A person appointed to any duty post in any grade after the commencement of these rules shall be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.
- **7. Appointment to the Service.-** (1) After initial constitution of the Service, the vacancies in any of the grades shall be filled in the manner as hereinafter provided.
- (2) Fifty per cent of the vacancies of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Civil Services Examination conducted by the Commission in accordance with rules framed and notified by the Government from time to time.
- (3) Remaining fifty per cent of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion in accordance with the provisions specified in Schedule-II of these rules on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.
- (4) Appointments in the Service to the posts of Senior Time Scale and above except to the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) shall be made in accordance with the provision of Schedule-II by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule–III. Placement to the Junior Administrative grade (Non-functional Selection Grade) shall be made on the basis of seniority subject to suitability on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion or Screening Committee constituted in accordance with Schedule–III.
- **8. Probation.-** (1) Every officer on appointment to the service, either by direct recruitment or by promotion under sub-rule (2) or (3) of rule 7 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling officer may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of the probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the probation or any extension thereof the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his/her appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

- (5) As regards other matters relating to probation, the candidates shall be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.
- **9. Seniority.-** (1) The relative seniority of the Members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any Member of the Service has not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

- (2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regards.
- (3) Seniority of officers not covered by the above provisions shall be determined by the Government in consultation with the commission.
- **10. Non-functional Up-gradation.** (1) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying level 10 to level 15 except 13A in the pay matrix, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same level in the pay matrix on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade at the Centre.
- (2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular level in the pay matrix shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher level in the pay matrix.
- (3) Grant of Non-functional Up-gradation referred to in clause (1) above shall be,-
 - (i) in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time,
 - (ii) made on the recommendations of the screening committee as specified in Schedule-IV.
- **11. Mid Career Training (MCT) Program.** The officers of the service shall complete the MCT programs satisfactorily as prescribed by Central Government from time to time.
- **12. Conditions of Service.-** (1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere, including field service, in or outside India.
- (2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters, for which no provision has been made under these rules, shall be the same as are applicable to the officers of Central Civil Services from time to time.

13. Disqualification. – No person:

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **14. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government who shall decide the same.
- **15. Power to Relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **16. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I, [See Sub Rule -5 (1)]

Grades, Designations, Level in the pay matrix and Authorised Strength

SI. No.	Grade	Designation	Level in the pay matrix	Authorised Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Apex Scale	Controller General of Communications Accounts	1	
2	Higher Administrative Grade +	Advisor (Finance) or Additional Controller General of Communications Accounts	2	
3	Higher Administrative Grade	Senior Deputy Director General or Principal Controller of Communications Accounts or Director General (NICF) or equivalent.	Level -15 (Rs.1,82,200- 2,24,100)]	8
4	Senior Administrative Grade	Deputy Director General or Joint Administrator (USOF) or Controller of Communications Accounts or General Manager (Finance), Postal Accounts Office or General Manager (Finance), Postal Life Insurance or General Manger (Finance), Postal Staff College of India or equivalent.	Level -14 (Rs.1,44,200- 2,18,200)]	55
5	Junior Administrative Grade (Non- Functional Selection Grade)	Director or Deputy Administrator (USOF) or Joint Controller of Communications Accounts or Director of Accounts (Postal) or equivalent.	**	
6	Junior Administrative Grade	Director or Deputy Administrator (USOF) or Joint Controller of Communications Accounts or Director of Accounts (Postal) or equivalent.	Level -12 (Rs.78,800- 2,09,200)	90
7	Senior Time Scale	Assistant Director General or Assistant Level -11 Administrator (USOF) or Deputy (Rs. 67,700- Controller of Communications Accounts or equivalent		
8	Junior Time Scale	Assistant Chief Accounts Officer or Assistant Controller of Communications Accounts or equivalent	Level -10 (Rs.56,100 - 1,77,500)	88
9	Reserve			46
	Total			376

^{**} **Note: -** The number of posts in 'Non-functional Selection Grade' in the Level-13 of the pay matrix (Rs.1,23,100-2,15,900) shall be restricted to 30% of the senior duty posts in the cadre, i.e. the posts in Level-11 of the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700) and above. There shall be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the 'Non-functional Selection Grade' shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE -II

(See Rule 7)

Method of recruitment, Field of Promotion and Minimum Qualifying Service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in various Grades of the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service.

SI. No.	Grade	Method of recruitment	Whether selection or non- selection post	Field of Selection and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Apex Scale (CGCA) Level -17 in the Pay Matrix (Rs. 2,25,000)	By promotion	Selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade+ in Level -16 in the Pay Matrix (Rs. 2,05,400- 2,24,400) with one years' service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis.
2	Higher Administrative Grade + Level-16 in the Pay Matrix(Rs. 2,05,400- 2,24,400)	By Promotion	Selection	Officers of the service in Higher Administrative Grade in Level -15 in the Pay Matrix (Rs. 1,82,200–2, 24,100) with one years' service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis.
3.	Higher Administrative Grade Level-15 in the Pay Matrix (Rs.1,82,200- 2,24,100)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in Senior Administrative Grade in level -14 in the Pay Matrix (Rs. 1,44,200-2,18,200) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; or with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one years' regular service should be in Senior Administrative Grade and have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction or prescribed in-service training.
4.	Senior Administrative Grade Level-14 in the Pay Matrix (Rs.1,44,200- 2,18,200)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) with eight years' combined service in Junior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade, if any, rendered after appointment thereto on regular basis, or with seventeen years' regular service in Group "A" posts in the service out of which at least four years 'regular service' should be in Junior Administrative grade including Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).
5	Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade) Level-13 in the Pay Matrix (Rs.1,23,100- 2,15,900)	By placement in the scale on the basis of seniority subject to suitability	-	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800–2,09,200) who have entered the 14 th year of service on the 1 st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which such member of the service was recruited or the year of inclusion in the select list of Junior Time Scale on promotion.
6.	Junior Administrative Grade	By Promotion	Selection	Officers of the service in the Senior Time Scale in level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700– 2,08,700) with five years' service in the grade rendered

	Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78,800- 2,09,200)			after appointment thereto on regular basis, and have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction or prescribed inservice training.
7.	Senior Time Scale Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67,700- 2,08,700)	By Promotion	Selection	Officers of the service in the Junior Time Scale in level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100–1,77,500) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, and have successfully completed minimum two weeks Departmental induction or prescribed in-service training.
8.	Junior Time Scale Level-10 in the Pay Matrix (Rs.56,100 -	50% by Direct Recruitment	Not Applicable	Through Civil Services Examination conducted by the Commission.
	1,77,500)	50% by promotion	Selection	Senior Accounts officers of the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service Group 'B' in Level -10 of the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500) and Accounts officers in Level -9 of the pay matrix (Rs.53,100 -1,67,800) with two years of regular service in those grades rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed minimum two weeks Departmental induction training.

Note 1: The crucial date for determining the eligibility of the officers for promotion to various grades shall be as per the instructions issued by the Government from time to time.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-III

[See Sub Rule 7(3) and 7(4)]

Composition of Departmental Promotion Committee, Departmental Screening Committee and Departmental Confirmation Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group "A" officers of Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group 'A').

S.No	Grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Apex Level Level -17 in the Pay Matrix (Rs. 2,25,000)	(1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission — Chairman; (2) Secretary (Telecom), Department of TelecomMember; (3) Member (Finance), Telecom CommissionMember.	Not applicable.
2	Higher Administrative Grade+ Level-16 in the Pay Matrix(Rs. 2,05,400-2,24,400)	(1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2) Secretary (Telecom), Department of Telecom -Member; (3) Member (Finance), Telecom Commission -Member.	Not applicable.

1	1			
3	Higher Administrative Grade Level-15 in the Pay Matrix (Rs.1,82,200- 2,24,100)	 (1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission (2) Secretary (Telecom) , Department of Telecom (3) Member (Finance), Telecom Commission 	n – Chairman; -Member; -Member.	Not applicable.
4	Senior Administrative Grade Level-14 in the Pay Matrix (Rs.1,44,200- 2,18,200)	 (1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission (2) Member (Finance), Telecom Commission (3) Advisor (Finance), Telecom Commission 	-Member:	Not applicable.
5	Junior Administrative Grade(Non- Functional Selection Grade) Level-13 in the Pay Matrix (Rs.1,23,100- 2,15,900)	 (1) Member (Finance) , Telecom Commission (2) Advisor (Finance), Telecom Commission (3) Deputy Director General (Establishment and Training), Department of Telecom 	Chairman;Member;Member.	Not applicable.
6	Junior Administrative Grade Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78,800- 2,09,200)	 (1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission (2) Advisor (Finance), Telecom Commission (3) Deputy Director General (Establishment and Training), Department of Telecom 	n – Chairman; – Member; – Member.	Not applicable.
7	Senior Time Scale Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67,700- 2,08,700)	 (1) Advisor (Finance), Telecom Commission (2) Deputy Director General (Establishment and Training), Department of Telecom (3) Director (Staff Establishment Accounts), Department of Telecom 	– Chairman;– Member;-Member.	Not applicable.
8	Junior Time Scale Level-10 in the Pay Matrix (Rs.56,100 - 1,77,500)	 (1)Chairman/Member, Union Public Service Commission (2) Advisor (Finance), Telecom Commission (3) Deputy Director General (Establishment and Training), Department of Telecom (4) Director (Staff Establishment Accounts), Department of Telecom 	- Chairman;- Member;- Member;- Member.	1. Advisor (Finance), Telecom Commission — Chairman; 2. Deputy Director General (Establishment and Training), Department of Telecom — Member; 3. Director (Staff Establishment Accounts), Department of Telecom — Member.

SCHEDULE-IV

[See Sub Rule 10(3) (ii)]

Composition of Departmental Screening Committee for considering grant of Non-Functional Upgradation to the officers of Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group 'A').

S.No.	Grade	Screening Committee for Non-Functional Up-gradation consisting of :-	
(1)	(2)	(3)	
(1)	Higher Administrative Grade	(1) Secretary (Telecom), Department of Telecom(2) Member (Finance), Telecom Commission(3) Advisor (Finance), Telecom Commission	- Chairman; - Member; - Member.
(2)	Senior Administrative Grade	(1) Secretary (Telecom), Department of Telecom(2) Member (Finance), Telecom Commission(3) Advisor (Finance), Telecom Commission	- Chairman; - Member; - Member.
(3)	Junior Administrative Grade(Non-Functional Selection Grade)	(1) Secretary (Telecom), Department of Telecom(2) Member (Finance), Telecom Commission(3) Advisor (Finance), Telecom Commission	- Chairman; - Member ; - Member.
(4)	Junior Administrative Grade	(1) Secretary (Telecom), Department of Telecom(2) Member (Finance), Telecom Commission(3) Advisor (Finance), Telecom Commission	- Chairman; - Member; - Member.
(5)	Senior Time Scale	(1) Secretary (Telecom), Department of Telecom(2) Member (Finance), Telecom Commission(3) Advisor (Finance), Telecom Commission	- Chairman; - Member; - Member.

[F. No. 08-02/2012-SEA-I]

ABHAY KUMAR SINGH, Dy. Director General (E&T)

KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.22 20:18:12 +05'30'